दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 31 मार्च, 2014
निर्णित : 4 अप्रैल, 2014

आप.अ.555/2012

मुनीर @ छोटा ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री एस.एस.अहलुवालिया अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे.दि.सर.) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

सुरक्षित : 21 मार्च, 2014
निर्णित : 4 अप्रैल, 2014

आप.अ.556/2012

दुलाल ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री सौरभ कंसल, अधिवक्ता के साथ सुश्री पल्लवी कंसल अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे.दि.सर.) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

और

आप.अ.557/2012 और आप.वि.ज.सं. 435/2014

हारून ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री सौरभ कंसल, अधिवक्ता के साथ
सुश्री पल्लवी कंसल अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे.दि.सर.) .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्या.एस.पी.गर्ग

1. मुनीर उर्फ छोटा (क-1), दुलाल (क-2) और हारुन (क-3) ने सत्र मामला संख्या 37/10 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 19.12.2011 के निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी है, जो प्राथमिकी संख्या 91/09 पुलिस थाना हर्ष विहार से उत्पन्न हुआ था, जिसके तहत उन्हें भा.दं.सं. कि धारा 395 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। दिनांक 24.12.2011 के आदेश द्वारा, प्रत्येक पर 20,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. आरोप-पत्र में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दिनांक. 23.05.2009 को लगभग 01.50 बजे मकान सं. क-181, गली सं. 6, मंडोली एक्सटेंशन में अपीलार्थियों और उनके सहयोगियों आफताब उर्फ डब्बू और

यामीन उर्फ कालिया ने डकैती की। पीसीआर से घटना के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस थाना महरौली में दैनिक डायरी (डीडी) सं. 7ख दर्ज किया गया। जाँच का जिम्मा सहा.उप.नि. राकेश त्यागी को सौंपा गया जो हेड कांस्टेबल ऋषि राज के साथ मौके पर गए। उन्होंने शिकायतकर्ता सतेंद्र कुमार का बयान (प्र.अभि.सा.-3/क) धारा 394/34 भा.दं.सं के तहत दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की। घायल सतेंद्र कुमार को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि दीवार फांदकर घर में घुसे तीन-चार लोगों ने 19,500 रुपये, सोने की अंगूठी और स्कूल आई-कार्ड वाला पर्स लूट लिया। हमलावर हथियारों से लैस थे और प्रतिरोध करने पर उन्हें चोटें पहुँचाई। अपराधियों को पकड़ने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि 25.05.2009 को साकिर, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद हारुन (क-3), मोहम्मद मुनीर बड़ा, दुलाल (क-2), मुनीर छोटा (क-1) और कमल को विशेष स्टाफ, दक्षिण जिले की पुलिस ने प्राथमिकी सं. 267/2009 के तहत भा.दं.सं. कि धारा 399/402 और 25 आयुध अधिनियम, के तहत पुलिस थाना महरौली में गिरफ्तार किया था। उनके पास से कई हथियार बरामद किए गए थे । उनके द्वारा दिए गए खुलासे से इस मामले में उनकी संलिप्तता सामने आई। इस मामले के जांच अधिकारी को सूचना दी गई और डीडी सं. 2ख दर्ज किया गया। अभि.सा.-21 (सहा.उप.नि. राकेश त्यागी) ने रहीम, साकिर, बड़ा मुनीर, छोटा मुनीर, कमाल, यामीन उर्फ कालिया, आफताब, हारुन और दुलाल को संदिग्ध के

तौर पर गिरफ्तार किया। कोर्ट की अनुमति के पश्चात, उनके प्रकटीकरण के बयान प्र.अभि.सा. 21/झ[क-3 (हारुन)], प्र. अभि.सा.-21/ञ [क-1 (छोटा मुनीर)], प्र. अभि.सा.-21/ट [क-2 (दुलाल)], प्र. अभि.सा.-21/ठ (यामीन उर्फ कालिया) और प्र. अभि.सा. 21/एम (आफताब) दर्ज किए गए थे । पहचान परीक्षण कार्यवाही में, शिकायतकर्ता - सतेंद्र ने क-1 और क-3 की पहचान की। यामीन उर्फ कालिया ने टीआईपी में भाग लेने से इनकार कर दिया। 09.06.2009 को पुलिस रिमांड के दौरान, रहीम, बड़ा मुनीर, साकिर और आफताब ने पुलिस पार्टी को घटनास्थल पर ले गए और इशारा करते हुए ज्ञापन(प्र. अभि.सा.-13क से प्र.अभि.सा.-13/घ) तैयार किया गया। आफताब के प्रकटीकरण कथन के अनुसार, शिकायतकर्ता का स्कूल आई-कार्ड बरामद किया गया जिसे जब्ती ज्ञापन प्र. अभि.सा.-13/ङ के माध्यम से जब्त कर लिया गया। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान अभिलेखित किए गए। साक्ष्यों को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भेजा गया। रहीम, साकिर, बड़ा मुनीर और कमाल को बरी कर दिया गया। अन्वेषण पूरी होने के पश्चात, क-1 से क-3 और यामीन उर्फ कालिया और आफताब के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया; उन पर विधिवत आरोप लगाए गए और उन्हें विचारण के लिए लाया गया। अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ आरोपों को पुष्ट करने के लिए इक्कीस गवाहों की जांच की। 313 बयानों में, आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया। पक्षों के परस्पर प्रतिविरोधों पर विचार करने तथा साक्ष्यों और अन्य सामग्रियों का मूल्यांकन करने के पश्चात,

विचारण न्यायालय ने, अपने निर्णय में, क-1 से क-3 को धारा 395 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषी ठहराया। आफताब और यामीन उर्फ कालिया को आरोपों से बरी कर दिया गया। राज्य ने उनके दोषमुक्त होने के विरुद्ध कोई अपील नहीं की। व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, क-1 से क-3 ने अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों की जाँच की है। जिस घटना में शिकायतकर्ता-सतेंद्र कुमार के मकान सं. ए-181, गली सं.6, मंडोली एक्सटेंशन में रु. 19,500/- और अन्य कीमती सामान लूट लिए गए थे, उसे चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थियों की एकमात्र दलील यह है कि वे अपराध के अपराधी नहीं थे और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था। शिकायतकर्ता के पास अपने घर पर रात के समय डकैती की घटना को फर्जी या मनगढ़ंत बनाने का कोई बाहरी विचार नहीं था। हमलावरों द्वारा डकैती करते समय न केवल उसे नकदी और अन्य कीमती सामान से वंचित किया गया, बल्कि उसे घायल भी किया गया। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और उसकी मेडिकल जांच की गई। उन्हें मामूली चोटें आईं। घटना रात करीब 01.50 बजे हुई। शिकायतकर्ता (प्र. अभि.सा.-3/क) का बयान दर्ज करने के बाद रात 03.50 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने पहले मौके पर ही पुलिस को बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में तीन/चार लड़के घर के अंदर घुसे और डकैती की। शोर मचाने पर अभि.सा.-1 (नरेश कुमार) सहित कई

पड़ोसी मौके पर जमा हो गए और घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ पथराव किया। उन्हें डराने के लिए बदमाशों ने जवाबी फायरिंग की और भागने में सफल रहे। अभि.सा.-3 (सतेंद्र कुमार), अभि.सा.-4 (विमलेश), अभि.सा.-5 (रेखा) और अभि.सा.-6 (रिंकी) ने लूट की घटना के बारे में एक जैसा बयान दिया है।

4. अपीलार्थियों को उनके सहयोगियों के साथ प्राथमिकी सं. 267/2009 में भा.दं.सं. कि धारा 399/402 और 25 आयुध अधिनियम के तहत, विशेष स्टाफ, दक्षिण जिले की पुलिस द्वारा दिनांक. 25.05.2009 को पुलिस स्टेशन महरौली में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उनकी संलिप्तता उनके द्वारा दर्ज किए गए खुलासे के बयानों से सामने आई। इस मामले के जांच अधिकारी ने पहचान परीक्षण कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। अभि.सा. -16 (सुश्री सुची लालर), विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने तिहाड़ जेल में पहचान परीक्षण कार्यवाही आयोजित की, जिसमें शिकायतकर्ता ने क-1 और क-3 की सही पहचान की। यामीन उर्फ कालिया ने पहचान परीक्षण कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। अभि.सा.-3 के रूप में पेश होने पर, कोर्ट के बयान में, सतेंद्र कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के क-1 और क-3 की पहचान की और विशेष रूप से गवाही दी कि वे हमलावरों में से थे, जिन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया और लुट-पाट की। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इन दोनों हमलावरों को पहचान परीक्षण कार्यवाही से पूर्व पुलिस स्टेशन में उनके सामने पेश किया गया था। अपीलार्थियों का यह तर्क बेबुनियाद

है। उन्होंने कोई विशेष तिथि नहीं बताई कि उन्हें शिकायतकर्ता को कब और कहां दिखाया गया। वे स्वेच्छा से पहचान परीक्षण कार्यवाही में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। उस समय, टीआईपी का संचालन करने वाले विद्वान महानगर दंडाधिकारी के पास ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। उन्हें टीआईपी में शिकायतकर्ता द्वारा उनकी पहचान को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह उन्हें हमलावरों के रूप में पहचानने में सक्षम था। अभि.सा.-3 (सतेंदर कुमार) इतना निष्पक्ष था कि उसने अपने न्यायालय के बयान में आफताब और यामीन उर्फ कालिया को नहीं पहचाना, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और मुख्य रूप से इसके परिणामस्वरूप उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

5. शिकायतकर्ता ने अपने न्यायालय के बयान में क-2 की पहचान की और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह भी घटना में शामिल हमलावर था। प्रतिपरीक्षा में, उसने इस बात से इनकार किया कि घटना के समय क-2 घर के बाहर मौजूद था। उसने स्वेच्छा से यह भी कहा कि क-2 घर के अंदर उस कमरे में था जहाँ लूट की गई थी। यह सत्य है कि अन्वेषण अधिकारी ने जांच के दौरान क-2 के लिए टीआईपी आयोजित करने के लिए आवेदन नहीं किया था । अन्वेषण अधिकारी की इस चूक के लिए, अन्यथा शिकायतकर्ता की ठोस और विश्वसनीय गवाही, जिसकी क-2 के साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी, को खारिज नहीं किया जा सकता। यह कहना गलत होगा कि मूल साक्ष्य

न्यायालय में पहचान का साक्ष्य है। शिनाख्त परेड जांच के चरण से संबंधित है, और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को शिनाख्त परेड आयोजित करने के लिए बाध्य करता हो या आरोपी को दावा करने का अधिकार प्रदान करता हो। वे ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं । परीक्षण शिनाख्त परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। ऐसी पहचान को कितना महत्व दिया जाए, यह तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में वह संपुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। ('अमितसिंह भीकमसिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य', एआईआर 2007 एससी 676)। वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने पाया कि घटनास्थल से बरामद कारतूस प्राथमिकी सं. 267/2009 धारा 399/402 भा.दं.सं. और 25 आयुध अधिनियम, पुलिस थाना महरौली में कार्यवाही में आरोपी से बरामद पिस्तौल से जुड़े थे। अपीलार्थियों में से किसी ने भी प्रासंगिक समय और तिथि पर किसी अन्य विशेष स्थान पर अपनी उपस्थिति का दावा नहीं किया। उन्होंने अपने संबंधित घरों या कार्यस्थलों में अपनी उपस्थिति साबित करने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य या नियोक्ता से पूछताछ नहीं की। अपीलार्थियों के पास विषम समय पर पीड़ित के घर के अंदर मौजूद होने का कोई कारण नहीं था। लूटे गए सामान की बरामदगी न होने से कोई परिणाम नहीं निकलता। अभि.सा.-3 (सतेन्द्र कुमार), अभि.सा.-4 (विमलेश), अभि.सा.-5 (रेखा) और अभि.सा.-6 (रिंकी) सभी ने घर से कीमती सामान की लूट के बारे में

अभिसाक्ष्य दिया है। अभि.सा.-4 (विमलेश), अभि.सा.-5 (रेखा) और अभि.सा.-6 (रिंकी) हमलावरों की पहचान करने में असमर्थ थे क्योंकि वे डर के कारण उनके चेहरे नहीं देख पाये थे। अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा उजागर किए गए छोटे-मोटे विरोधाभास, विसंगतियां और सुधार अभियोजन पक्ष के मामले की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से अपनी पहचान बताई है, जिसका हमलावरों के साथ घर के अंदर लगभग दस मिनट तक सीधा सामना हुआ था और उन्हें उनके मुख्याकृति देखने का स्पष्ट और उचित अवसर मिला था।

6. प्रारंभ में शिकायतकर्ता सतेंद्र कुमार ने अपने बयान (प्र.अभि.सा.-3/क) में घुसपैठियों की सही संख्या नहीं बताई थी और वर्णन किया था कि वे तीन या चार थे। अपने न्यायालय के बयान में भी उन्होंने उनकी संख्या तीन/चार बताई थी। पड़ोसी अभि.सा.-1 (नरेश कुमार) ने हमलावरों की संख्या पांच या छह बताई, लेकिन वह किसी भी हमलावर की पहचान नहीं कर पाया। अभि.सा.-4 (विमलेश) ने अपनी मुख्य जांच में हमलावरों की संख्या नहीं बताई। केवल प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि घुसपैठिए छह या सात थे। वह किसी भी अपराधी की पहचान करने में असमर्थ थी । अभि.सा.-5 (रेखा) ने केवल इतना बताया कि उसके भाई को तीन/चार लोगों ने पकड़ लिया था। अभि.सा.-6 (रिंकी) ने हमलावरों की संख्या चार/पांच बताई। इससे पता चलता है कि अन्वेषण के दौरान घटना में शामिल हमलावरों की सही संख्या का पता नहीं

चल सका। अन्वेषण के दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से चार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। विचारण न्यायालय को आफताब और यामीन उर्फ कालिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया। भा.दं.सं. की धारा 395 के तहत दोषसिद्धि के लिए हमलावरों की न्यूनतम संख्या पांच होनी चाहिए, जिसे अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। भा.दं.सं. कि धारा 395 के तहत दोषसिद्धि स्वीकार्य नहीं थी। चूंकि पीड़ित हमलावरों द्वारा लूटपाट करने में घायल हो गया था, इसलिए क-1 से क-3 के खिलाफ साबित अपराध भा.दं.सं. कि धारा 394 के अंतर्गत होगा। तदनुसार दोषसिद्धि को भा.दं.सं. कि धारा 394 में बदल दिया गया है।

7. दिनांक 17.07.2012 की नामावली सूची से पता चलता है कि क-1 और क-2 ने 17.07.2012 को तीन महीने की छूट के अलावा तीन साल, एक महीने और सात दिन की हिरासत में रहा है। दिनांक 10.02.2014 की क-3 की नामावली सूची से पता चलता है कि उसने 10.02.2014 को ग्यारह महीने की छूट के अलावा चार साल, आठ महीने और आठ दिन की हिरासत में रहा है। इनमें से किसी पर पहले कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, हालांकि वे कुछ अन्य आपराधिक मामलों में शामिल हैं। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सजा के आदेश को संशोधित किया जाता है और अपीलार्थियों की मूल सजा को घटाकर आठ साल कर दिया जाता है, साथ ही प्रत्येक पर

10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को भा.दं.सं. कि धारा 394 के तहत तीन महीने के लिए सादा कारावास की सजा काटनी होगी।

8. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए। आदेश की एक प्रति सूचना के लिए जेल अधीक्षक को भेजी जाए।

(एस.पी. गर्ग)
न्यायाधीश

04,अप्रैल, 2014/*ट्र.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*